न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या:– 4/2016/आवेदन अं0 धारा 111, 118 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. राजूसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. बच्चनसिह पुत्र नाथूसिह जाति राजपुत निवासी मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:

1. श्री शिवपालसिह वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक 05.01 .2021**

1. आवेदन में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि खसरा नम्बर 54, 55 किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर वाके ग्राम मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसका प्रार्थी एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 54, 55 के पूर्वी साईड में अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 58, 59 अवस्थित है। पूवी साईड के पड़ौसी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 54 व 55 की कायम पूर्वी सीमा पर छेड़खानी कर सीमाचिन्ह् नष्ट करना चाहने पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहां सीमाज्ञान का आवेदन पेश करने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ ने कमांक/भूं/अ0/15/179 दिनांक 26.06.2015 द्वारा तत्कालिन पटवारी को आदेश दिया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का मोटलावास द्वारा दिनांक 02.07.2015 को चाही गयी सीमाज्ञान की कृषि भूमि खसरा नम्बर 54 व 55 का दिनांक 02.07.2015 को उपस्थित मौतबीरान एवं पूर्वी दिशा के पड़ौसी काश्तकार की भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 की पश्चिमी दिशा की सीमा निर्धारित कर सीमाज्ञान करवा दिया। उक्त सीमाज्ञान को अप्रार्थी बच्चनसिंह द्वारा भी स्वीकार कर लिया कहीं भी अप्रार्थी ने उक्त सीमाज्ञान का एतराज नहीं किया। दिनांक 01. 01.2016 को श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के आदेश से करवाई गई

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

खसरा नम्बर 54 व 55 की सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थी द्वारा पक्के सीमा चिन्ह हेतु पीलर लगाकर तारबंदी करनी शुरू की तो अप्रार्थी द्वारा ऐतराज किया जाकर पुख्ता सीमाचिन्ह नही करने दिया। अप्रार्थी के मन में प्रार्थी की भूमि को हडप करने का इरादा पैदा हो गया है। इसीके चलते प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 54 व 55 की पूर्वी सीमा पर पक्के सीमाचिन्ह अनुचित अनाधिकृत अवैध कार्यवाही में नही लगाने दे रहे है। इस कारण से प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 54 व 55 की पूर्वी सीमा कायम करवाकर पक्के सीमा चिन्ह करवाई जानी उचित व न्याय संगत है। पुख्ता सीमाचिन्ह व तारबंदी व अन्य खर्चे प्रार्थी को निर्देश देने पर लगाने को तैयार है। इस कारण यह आवेदन पेश किया जाना लाजिम आया है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 54 व 55 की पूर्वी दिशा अवस्थित अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 58 व 59 के बीच की पुख्ता चिन्ह कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर सें वकील श्री भवानीसिह हाजिर आये और जबाब ओवदन पेश किया जिसमें कथन किया कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 54, 55 की पूर्वी सीमा व अप्रार्थी बच्चन सिंह की भूमि खसरा नम्बर 58, 59 की पश्चिमी सीमा एक ही है। अप्रार्थी ने कभी भी उक्त सीमा पर कोई छेडखानी नहीं की तथा न ही सीमा चिन्ह नष्ट किये है। आवेदक स्वंय ही सीमाओं को नष्ट करता रहता है व झुठी मुकदमेबाजी पर पड़ौसी काश्तकारों को परेशान करता रहता है। उक्त मद में वर्णित सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा कोई स्थायी पिन पोईन्ट मानकर नहीं किया गया। जिसके कारण सही सीमा का ज्ञान व निर्धारण नहीं हो सका। अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 58, 59 के पश्चिमी सीमा पर ग्राम दलतपुरा की सीमा कायम है। जिसके पत्थर सीमा पर वर्षो पुराने गडे हुये हैं तथा आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 54, 55 के पूर्व साईड से ग्राम हीरवास के कांकड की सीमा के पास में ही पुराना कुआ जो पहले जागीरदारों का था तथा अब दानाराम आदि जाटों के कब्जे में है जो स्थायी पिन पोईन्ट है जिनमें दोनो पक्षकार की उपस्थिति में नाम करवाया जाकर सीमा का निर्धारण किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी बिना स्थायी पिन

उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली

पोईन्ट कायम किये पटवारी हल्का से मिलकर गलत रूप से नाप करवाकर अप्रार्थी की भूमियों को दबाना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आवेदक का आवेदन मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाने की कृपा करे। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 118 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. आवेदन पर सुनी गई उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम मोटलावास पटवार हल्का मोटलावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमान्दी संवत् 2066–69 के अवलोकन सें स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 54, 55 किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का मोटलावास दिनांक 02.07.2015 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2015 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ